भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1634

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आश्रयविहीन लोगों के लिए आश्रय

1634. श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री राजेश वर्माः
श्रीमती शांभवीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर के शहरी क्षेत्रों में मौजूद बेघर लोगों की संख्या संबंधी आंकड़े का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय (एसयूएच) योजना के तहत आश्रय प्रदान किए गए शहरी बेघर लोगों की संख्या संबंधी आंकड़े का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बेघर लोगों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं: और

(घ) उक्त योजना को लागू करने में सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं और इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): भारत की जनगणना में दशकीय आधार पर देश के बेघर लोगों सहित जनसंख्या की गणना की जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, कुल शहरी बेघर आबादी 9,38,348 थी। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक-1 में दी गई है। इसके अलावा, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह (एसयूएच) नामक घटक के परिचालन दिशा-निर्देशों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरों/कस्बों में व्यवस्थित तरीके से तीसरे पक्ष द्वारा सर्वेक्षण किए जाने का प्रावधान है, ताकि आश्रय गृहों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए शहरी बेघरों की गणना की जा सके। सर्वेक्षण में पहचाने गए बेघरों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 20.11.2024 तक, डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 1.16 लाख व्यक्तियों की क्षमता वाले कुल 1,994 आश्रय गृह चल रहे हैं। इसके अलावा 722 गैर-एनयूएलएम आश्रय गृह चल रहे हैं, जिनकी क्षमता 24,757 व्यक्तियों की है। चल रहे एनयूएलएम आश्रय गृहों की संख्या और बनाई गई क्षमता अनुलग्नक-III में दी गई है।

(ग): शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तथापि, उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से डीएवाई-एनयूएलएम के तहत एसयूएच को प्रशासित कर रहा है। इस घटक में शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं वाले स्थायी आश्रय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एसयूएच के परिचालन दिशा-निर्देशों में शहरी बेघरों की पहचान और बचाव के लिए प्रावधान किया गया है, जिसके तहत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और आश्रय चलाने वाली एजेंसी की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में कोई भी बेघर व्यक्ति खुले में रात न बिताए। इसके अलावा, आश्रय प्रबंधन एजेंसियां शहरी बेघर व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें आश्रय गृह में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। बचाव प्रक्रिया के दौरान स्थानीय पुलिस और संबंधित विभाग भी इस कार्य में मदद करते हैं।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रमुख चुनौतियों में नए आश्रय गृहों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होना, 5 वर्षों से अधिक समय तक आश्रय गृहों के संचालन और रख-रखाव (ओएंडएम) के लिए संसाधनों को जुटाना, बेघर लोगों की उस स्थान को छोड़ने की अनिच्छा जहां वे इतने लंबे समय से रह रहे हैं और बेघर लोगों द्वारा बार-बार पलायन करना आदि शामिल हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे परिचालन के पहले 5 वर्षों के बाद आश्रय गृहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने स्वयं के संसाधन जुटाएं।

*****

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1634 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बेघर शहरी जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरी बेघर जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश*	75,857
2	अरुणाचल प्रदेश	313
3	असम	2,527
4	बिहार	12,591
5	छत्तीसगढ़	6,533
6	गोवा	1,693
7	गुजरात	84,822
8	हरियाणा	23,789
9	हिमाचल प्रदेश	872
10	जम्मू और कश्मीर	10,848
11	झारखंड	6,967
12	कर्नाटक	35,473
13	केरल	7,761
14	मध्य प्रदेश	66,055
15	महाराष्ट्र	1,11,373
16	मणिपुर	1,331
17	मेघालय	177
18	मिजोरम	104
19	नागालैंड	344
20	ओडिशा	14,053
21	पंजाब	18,374
22	राजस्थान	73,236
23	सिक्किम	32
24	तमिलनाडु	37,117
25	त्रिपुरा	1,352
26	उत्तर प्रदेश	1,80,929
27	उत्तराखंड	5,556
28	पश्चिम बंगाल	1,04,967
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	65
30	चंडीगढ़	4,133
31	दादरा एवं नगर हवेली	281
32	दमन और दीव	591
33	दिल्ली	46,724
34	लक्षद्वीप	0
35	पुदुचेरी	1,508
	भारत 2011	**9,38,348**

स्रोत: *प्राथमिक जनगणना सार: बेघर जनसंख्या, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।*

नोट: **: आंध्र प्रदेश का तात्पर्य पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य से है, अर्थात वह क्षेत्र जिसमें वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य शामिल हैं।*

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1634 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

व्यवस्थित तृतीय-पक्ष सर्वेक्षणों के माध्यम से पहचाने गए बेघरों की संख्या

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पहचाने गए शहरी बेघर व्यक्तियों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	11,173
2	असम	636
3	बिहार	10,253
4	चंडीगढ़	2,064
5	छत्तीसगढ़	10,216
6	गोवा	173
7	गुजरात	35,293
8	हरियाणा	19,015
9	हिमाचल प्रदेश	879
10	जम्मू और कश्मीर	42
11	झारखंड	3,043
12	कर्नाटक	7,371
13	केरल	3,196
14	मणिपुर	4
15	मध्य प्रदेश	3,212
16	महाराष्ट्र	21,882
17	मेघालय	48
18	मिजोरम	3,888
19	नागालैंड	49
20	ओडिशा	13,651
21	पुदुचेरी	719
22	राजस्थान	39,512
23	सिक्किम	13
24	तमिलनाडु	14,040
25	तेलंगाना	4,629
26	त्रिपुरा	328
27	उत्तर प्रदेश	28,409
28	उत्तराखंड	2,202
29	पश्चिम बंगाल	10,565
	कुल	**2,46,505**

नोट: - (i) व्यवस्थित तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में किसी भी शहरी बेघर की पहचान नहीं की गई है।

(ii) तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों - लद्दाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब में तीसरे पक्ष द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1634 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

चल रहे आश्रय गृहों की संख्या और उनकी क्षमता - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चल रहे आश्रय गृह	बनाई गई क्षमता
1	आंध्र प्रदेश	95	4,880
2	असम	6	170
3	बिहार	111	3,969
4	छत्तीसगढ़	47	2,221
5	गोवा	3	73
6	गुजरात	78	9,754
7	हरियाणा	54	2,812
8	हिमाचल प्रदेश	20	688
9	जम्मू और कश्मीर	2	100
10	झारखंड	57	1,618
11	कर्नाटक	108	4,013
12	केरल	27	2,964
13	मध्य प्रदेश	118	4,187
14	महाराष्ट्र	99	5,467
15	मेघालय	4	95
16	मिजोरम	96	5,243
17	नागालैंड	3	90
18	ओडिशा	46	2,282
19	पंजाब	30	1,550
20	राजस्थान	237	10,900
21	तमिलनाडु	276	19,398
22	तेलंगाना	45	2,530
23	त्रिपुरा	9	450
24	उत्तर प्रदेश	144	9,352
25	उत्तराखंड	१३	699
26	पश्चिम बंगाल	70	3,811
27	चंडीगढ़	1	105
29	दिल्ली	193	17,035
30	पुदुचेरी	2	200
	कुल	**1,994**	**1,16,656**

****